न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—236/2016/223 (2016/00236)

1. श्री गणेश पुत्र भैरू, जाति रेगर, नि0 ग्राम कानपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, नसीराबाद,जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 6.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 107/2013.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांकः—31.8.2018

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6. 2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/अपीलांट को मौजा ग्राम कानपुरा तह0 नसीराबाद में स्थित वर्किग खसरा नंबर 1352 मिन रकबा 5 बीधा भूमि का आवंटन किया गया था तथा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी/अपीलांट को सुपुर्द किया गया तथा उक्त आवंटन की पालना में वर्किग जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 41 दिनांक 5.8.1999 दर्ज किया जाकर वादी/अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज किया गया किन्तु वर्तमान जमाबंदी में बने हाल खसरा नंबर 1544 रकबा 1.00 है0 में से 0.80 है0 का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग ने गैर कानूनी तरीके से सिवायचक का गलत इंद्राज कर दिया । इस गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादी वादी को बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित

आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने से पूर्व वादी को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । विवादित भूमि वादी को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था तथा आवंटन की दिनांक से वादी/अपीलांट आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटन की पालना में वर्किंग जमाबंदी में वादी के नाम नामांतकरण संख्या 41 दिनांक 5.8.1999 दर्ज किया जाकर गैर खातेदारी का अंकन दर्ज किया गया है लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने बंदोबस्त के समय बिना किसी अधिकार एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज कर हाल खसरा नंबर 1544 रकबा 1 है0 में से 0.80 है0 को सिवायचक अंकित किया है जबकि केवल मात्र नामांतकरण भरते समय तरमीम नहीं होने के कारण वादी के नाम अंकन नहीं की गई को इस आधार पर वाद खारिज किया गया है कि चारागाह के लिये भूमि आरक्षित है जबकि कोई भूमि चारागाह नहीं है । बंदोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के इंद्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं था । भू–प्रबंध विभाग का उक्त उक्त इंद्राज विधिविरूद्ध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने वाद में आवश्यक तनकियात कायम किये बिना तथा वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 5 की मंशा के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में असफल रहा है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने वाद में अनुतोष सहित दो तनकियात कायम की है किन्तु निर्णय तनकीवार नहीं किया है । अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि वाद में कायम की गई तनकियात पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 का उल्लंघन किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी की और से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाद एवं जवाब दावा के आधार

पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर